संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/आईएनटी/ओआरडी/विविध/103/05/2022 **दिनांकः** 25-05-2022

डीनान रिस्क सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी मंजिल, बी विंग, जीना हाउस, प्लाट नं. 171, ओम नगर, आफ़ पाइप लाइन रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400099

संदर्भः आईआरडीएआई/आईएनटी/ओआरडी/विविध/103/05/2022

डीनान रिस्क सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
के मामले में
बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी(8) के अधीन
आदेश

निम्नलिखित के आधार पर

(i) प्राधिकरण द्वारा नियुक्त न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जारी किया गया कारण बताओ नोटिस (इस आदेश में इसके बाद "**एससीएन**" के रूप में उल्लिखित) दिनांक 30.09.2020;

(ii) उक्त एससीएन के लिए मेसर्स डीनान रिस्क सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड (इस आदेश में इसके बाद "**डीनान**" के रूप में उल्लिखित) का उत्तर दिनांक 01.10.2020;

(iii) 16.10.2020 को आभासी (वर्चुअल) वैयक्तिक सुनवाई के दौरान न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष डीनान द्वारा किया गया प्रस्तुतीकरण;

(iv) न्यायनिर्णयन अधिकारी की रिपोर्ट 22.01.2021;

(v) न्यायनिर्णयन अधिकारी की रिपोर्ट अग्रेषित करते हुए तथा इस विषय में डीनान को वैयक्तिक सुनवाई का एक अवसर देते हुए प्रेषित प्राधिकरण का पत्र दिनांक 08.02.2021;

(vi) प्राधिकरण के पत्र दिनांक 08.02.2021 के लिए डीनान का उत्तर दिनांक 27.02.2021.

पृष्ठभूमि

1. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इस आदेश में इसके बाद "**प्राधिकरण**" के रूप में उल्लिखित) को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लि., मुंबई (इस आदेश में इसके बाद "**रिलायंस**" के रूप में उल्लिखित) के कारपोरेट बीमा कक्ष से एक ई-मेल दिनांक 15 जून 2020 प्राप्त हुआ जिसमें डीनान और मेसर्स पीआईआईक्यू रिस्क पार्ट्नर्स (इस आदेश में इसके बाद "**पीआईआईक्यू**" के रूप में उल्लिखित) के पंजीकरण की स्थिति के बारे में पूछताछ की गई तथा यह बताया गया कि विमानन बीमा व्यवसाय के संबंध में सेवाओं का प्रस्ताव करते हुए ई-मेल दिनांक 03 जून 2020 के अनुसार डीनान के द्वारा उनके साथ संपर्क किया गया।

2. चूँकि उक्त संस्था प्राधिकरण के पास पंजीकृत नहीं की गई थी, अतः डीनान से दिनांक 14 जुलाई 2020 के अनुसार स्पष्टीकरण माँगा गया कि उनके द्वारा रिलायंस को "एअरोस्पेस (पुनर्) बीमा सेवाएँ" प्रस्तावित करने का आधार क्या है।

3. डीनान ने यह प्रस्तुतीकरण करते हुए पत्र दिनांक 20 जुलाई 2020 के अनुसार उत्तर दिया कि उनके कार्यकलाप व्यवसाय विश्लेषण-विज्ञान और व्यावसायिक समर्थन, मूल्यांकन, जोखिम मूल्यांकन और अध्ययन तथा विमानन बीमा उद्योग सहित उद्योग के लिए विभिन्न अन्य प्रौद्योगिकीगत समाधान हैं, जिसके लिए प्राधिकरण के पास पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

4. तथापि, रिलायंस को प्रेषित डीनान के ई-मेल दिनांक 03 जून 2020 से यह पाया गया कि डीनान ने रिलायंस को अपनी सेवाओं का प्रस्ताव निम्नानुसार किया थाः
"यह करार हमारे भागीदारों और ग्राहकों को एक विलक्षण कौशल-समूह और संसाधन की गहनता देता है तथा पीआईआईक्यू-डीनान समाधान वैश्विक बीमा बाजारों को भौगोलिक एवं क्षेत्रीय संबंधों और समझ के साथ सुयोजित विशेषज्ञता, नवोन्मेषण और पहुँच प्रदान करेगा, जो उनके विश्वास के अनुसार एअरोस्पेस (पुनर्) बीमा में प्रयोजन-विशिष्ट और व्यक्ति-विशिष्ट सेवा उपलब्ध कराएगा"।

5. उपर्युक्त ई-मेल के अनुसार डीनान ने एअरोस्पेस (पुनर्) बीमा में **वैश्विक बीमा बाजारों को प्रवेश** प्रस्तावित किया था, जो केवल एक पंजीकृत पुनर्बीमा/सम्मिश्र दलाल ही कर सकता है। रिलायंस को प्रेषित डीनान के सूचना-पत्र के अनुसार, यह प्रतीत हुआ कि डीनान ने प्राधिकरण के पास स्वयं को पंजीकृत किये बिना एक बीमा मध्यवर्ती की क्षमता में कार्य किया था, जोकि बीमा अधिनियम, 1938 (इस आदेश में इसके बाद "**अधिनियम**" के रूप में उल्लिखित) की धारा 42डी (8) का उल्लंघन है। तदनुसार, बीमा (न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जाँच आयोजित करने के लिए प्रक्रिया) नियम, 2016 (इस आदेश में इसके बाद "**न्यायनिर्णयन नियम**" के रूप में उल्लिखित) के साथ पठित अधिनियम की धारा 105सी के अनुसार, यह मामला डीनान के विरुद्ध जाँच आयोजित करने के लिए प्राधिकरण के न्यायनिर्णयन अधिकारी के पास प्रेषित किया गया।

6. न्यायनिर्णयन अधिकारी ने डीनान के साथ विनिमय किये गये पत्र-व्यवहार, यदि कोई हो, के संबंध में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमटेड, युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जीआईसी आरई, एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से सूचना माँगी। इन बीमाकर्ताओं से प्राप्त जानकारी से यह पाया गया कि मेसर्स युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने श्री एअरलाइन्स (विदेशी आवक नवीकरण) का एक प्रस्तुतीकरण डीनान से ई-मेल दिनांक 21 जून 2020 के द्वारा प्राप्त किया। चूँकि यह पाया गया कि डीनान प्राधिकरण के पास पंजीकृत नहीं है, मेसर्स युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बाद में पीआईआईक्यू अर्थात् लंदन में स्थित बीमा दलाल के साथ सीधे व्यवहार किया। मेसर्स ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने सूचित किया कि पीआईआईक्यू के साथ किये गये बीमाकर्ता के पत्र-व्यवहार में तीन आवक विमानन बीमा स्वीकृतियों अर्थात् मेसर्स यूएस बंगला (बंगला देश से), मेसर्स रीजेन्ट एअर (बंगला देश से) और मेसर्स ताशी एअर (भूटान) के संबंध में डीनान के अधिकारी शामिल किये गये थे।

7. तदुपरांत, न्यायनिर्णयन अधिकारी ने अधिनियम की धारा 42डी की उप-धारा (8) के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की, तथा अधिनियम की धारा 42डी(8) के अंतर्गत कथित उल्लंघन के लिए न्यायनिर्णयन नियमों के नियम 4 और अधिनियम की धारा 105सी के अनुसार डीनान को उनके उत्तर की माँग करते हुए एक एससीएन संदर्भ आईआरडीएआई/एडीजे/डीनान/2020-21 दिनांक 30 सितंबर 2020 जारी किया।

8. डीनान ने दिनांक 1 अक्तूबर 2020 के अपने पत्र के द्वारा उक्त एससीएन के लिए अपना उत्तर प्रस्तुत किया तथा न्यायनिर्णयन अधिकारी से वैयक्तिक सुनवाई के लिए एक सुविधाजनक तारीख देने का अनुरोध किया। न्यायनिर्णयन अधिकारी ने न्यायनिर्णयन नियमों के नियम 4(3) के अनुसार वैयक्तिक सुनवाई के लिए एक अवसर 16 अक्तूबर 2020 को उपलब्ध कराया।

9. न्यायनिर्णयन अधिकारी ने जांच रिपोर्ट सिफारिश के साथ 22 जनवरी 2021 को प्रस्तुत की। न्यायनिर्णयन अधिकारी की रिपोर्ट की जाँच करने के बाद डीनान को 08 फरवरी 2021 का एक पत्र जारी किया गया जिसके साथ न्यायनिर्णयन अधिकारी की रिपोर्ट अग्रेषित की गई और बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 105सी(2) के अधीन वैयक्तिक सुनवाई का एक और अवसर दिया गया। डीनान ने 17 जून 2021 के ई-मेल के द्वारा पुष्टि की कि वे वैयक्तिक सुनवाई के इच्छुक नहीं हैं।

10. डीनान द्वारा एससीएन के लिए अपने पत्र दिनांक 01 अक्तूबर 2020 के अनुसार किये गये प्रस्तुतीकरणों, 16 अक्तूबर 2020 को आयोजित वैयक्तिक सुनवाई के दौरान किये गये प्रस्तुतीकरणों, न्यायनिर्णयन अधिकारी की सिफारिशों तथा डीनान के उत्तर दिनांक 27 फरवरी 2021 पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया।

11. **आरोप**

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी(8) का उल्लंघनः डीनान ने बीमा मध्यवर्ती के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण के पास पंजीकरण प्राप्त किये बिना बीमा मध्यवर्ती की क्षमता में कार्य करने के द्वारा अधिनियम की धारा 42डी(8) का उल्लंघन किया है।

12. **डीनान का प्रस्तुतीकरणः** डीनान ने निम्नानुसार प्रस्तुतीकरण कियाः

(i) उनका उद्देश्य व्यवसाय विश्लेषण-विज्ञान, मूल्यांकन, जोखिम मूल्यांकन, बीमा उद्योग के ग्राहकों को इंश्योरटेक समाधान सहित व्यावसायिक समर्थन सेवा उपलब्ध कराना था (इसमें उनके द्वारा अन्य उद्योगों को प्रदान की जानेवाली सभी सेवाएँ शामिल नहीं हैं) तथा इस उद्देश्य के साथ उन्होंने अपने द्वारा दी जा सकनेवाली सेवाएँ प्रस्तुत करने के लिए विश्व भर की कंपनियों को एक सूचना-पत्र भेजा था एवं इसमें (पुनर्) बीमा दलाली देने का कोई आशय अथवा इच्छा नहीं थी और न ही उनका ऐसा कोई विश्वास था कि इससे (पुनर्) बीमा दलाली संबंधी आईआरडीएआई विनियमों का उल्लंघन हुआ।

(ii) प्राधिकरण के दिनांक 14 जुलाई 2020 के पत्र के अनुसार सूचित उनकी व्यावसायिक समर्थन सेवाओं के संबंध में चिंता के विषय में उन्होंने भारतीय कंपनियों को व्यावसायिक समर्थन सेवाएँ देने के किसी विचार अथवा योजना को समाप्त किया, यद्यपि उनकी एक "बाह्यस्रोतीकरण नीति" (आउटसोर्सिंग पालिसी) है क्योंकि वे इस नीति की "समझ" में किसी भी संभावना को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने उत्तर दिनांक 20 जुलाई 2020 में भी यह निर्दिष्ट किया कि यदि उनके प्रवर्तक बीमा दलाली के व्यवसाय अथवा बीमा उत्पाद उपलब्ध कराने में उद्यम का चयन करते हैं, तो वे ऐसे कोई कार्यकलाप प्रारंभ करने से पहले एक नई कंपनी के निगमन के साथ व्यवसाय की इन पद्धतियों को

हाथ में लेने के लिए आवश्यक अनुमोदन और पंजीकरण की अपेक्षा करने हेतु सर्वप्रथम प्राधिकरण के साथ संपर्क करेंगे। दिनांक 20 जुलाई 2020 और 1 अक्तूबर 2020 के पत्रों में प्रवर्तकों के उद्देश्य व्यक्त किये गये जिनके आधार पर 7 सितंबर 2020 को एक कंपनी "डीनान इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड" का पंजीकरण करने के लिए कंपनियों के पंजीयक (आरओसी) के पास आवेदन प्रस्तुत किया गया। एनओसी के लिए एक आवेदन प्राधिकरण को 8 सितंबर 2020 को ई-मेल द्वारा भेजा गया।

(iii) डीनान का लक्ष्य भारत में बीमा और पुनर्बीमा दलाली के क्षेत्र से बाहर तथा विश्व-भर में अनुमत रूप में सेवाएँ उपलब्ध कराना है, परंतु न्यायनिर्णयन से यह प्रतीत होगा कि डीनान ने अपने द्वारा दी जानेवाली सेवाओं के विषय में त्रुटि की है। डीनान के द्वारा आगे यह भी कहा गया कि केवल कंपनी की घोषणा के आधार पर दंड आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि इस पर आधारित होना चाहिए कि कंपनी ने क्या किया है। अलग से जैसा कि पहले बताया गया है, डीनान का विश्वास है कि वे अनुपालनकर्ता हैं तथा यदि कोई अननुपालन रहा है, तो डीनान ने प्राधिकरण का सूचना-पत्र दिनांक 14 जुलाई 2020 प्राप्त होने पर तत्परतापूर्वक कार्य किया है। डीनान ने यह प्रमाणित करनेवाला एक सीए प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया कि डीनान ने कोई बीजक उत्पन्न नहीं किया है और न ही किसी बीमा दलाली कार्यकलाप अथवा सेवाओं के कारण अपने ग्राहकों से दलाली अथवा शुल्क के रूप में कोई भी राशि प्राप्त की है।

(iv) डीनान प्राधिकरण के इन निर्धारण से असहमत है कि वर्तमान मामला उपर्युक्त के आधार पर कान्फियान्स इंटरनेशनल रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स एलएलसी और यूनिज़न इंश्योरेंस ब्रोकर्स सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड के समान है तथा यह सुनिश्चित करनेवाले ई-मेल की विषय-वस्तु को छोड़कर कि वह प्राप्त किया गया है, स्थानन के किसी भी पहलू में डीनान की कोई संबद्धता नहीं है।

(v) डीनान का (पुनर्) बीमा दलाली कार्यकलापों में सक्रिय होने का कोई उद्देश्य नहीं रहा है तथा इसने कभी एक बीमा मध्यवर्ती के रूप में स्वयं को झूठे तौर पर प्रस्तुत नहीं किया है क्योंकि कंपनी की कार्यनीति यह सुनिश्चित करने के संबंध में स्पष्ट है कि वे ग्राहकों के साथ पारदर्शी तौर पर कार्य करते हैं। जहाँ डीनान के स्टाफ ने व्यावसायिक समर्थन सेवाएँ देते हुए एक बीमा कंपनी के साथ संपर्क किया है, वे "प्रधान" को निरूपित कर रहे थे, जिसका अर्थ है "एक व्यक्ति अथवा संगठन जिसका विधिमान्य दायित्व उस कार्य के प्रति है जो एक व्यवसाय अथवा संगठन करता है।"

(vi) सम्मानित प्राधिकरण द्वारा की गई टिप्पणियों को अत्यंत गंभीरता के साथ लिया गया है तथा किसी बहस अथवा विवाद के बिना उनका पालन किया गया है। डीनान इस बात से सहमत नहीं है कि उक्त टिप्पणियों में एक बीमा दलाल के रूप में कार्य करने का कोई उद्देश्य था तथा निश्चित रूप से कोई व्यवसाय करने का उनका उद्देश्य नहीं था अथवा ऐसा कुछ भी प्रकट नहीं किया गया था।

(vii) उक्त टिप्पणियों का परिणाम कानून के अंतर्गत अधिकतम संभव दंड लागू करने में हुआ है यद्यपि उपर्युक्त कार्यकलापों तथा दिये गये साक्ष्य और स्पष्टीकरण से कंपनी के द्वारा किसी राजस्व का अर्जन नहीं किया गया है। उक्त टिप्पणियों के परिणामस्वरूप डीनान इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड को निगमित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा एनओसी प्रदान नहीं किया गया है, जिसका उद्देश्य आईआरडीएआई वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार लाइसेंसीकरण और परिचालनों की सभी अपेक्षाओं का पालन करनेवाली एक अलग कंपनी होना है।

(viii) डीनान महसूस करता है कि दंड कठोर है। अपने स्टाफ तथा वर्तमान महामारी और व्यवसाय की स्थिति एवं इस मामले का समाधान करने के लिए व्यतीत हुए समय के संदर्भ में डीनान इस विषय में निपटान करने और अपनी निर्दोषता की वकालत करना जारी रखने के लिए तैयार है।

13. **प्राधिकरण का निर्णय**

डीनान के प्रस्तुतीकरणों पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है तथा निम्नलिखित को देखा गया हैः

i. डीनान ने उनके द्वारा किये जानेवाले कार्यकलापों को व्यवसाय विश्लेषण-विज्ञान, व्यावसायिक समर्थन, मूल्यांकन, जोखिम मूल्यांकन, आदि के रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तथापि, बीमाकर्ताओं के साथ डीनान के पत्र-व्यवहार से पाया गया है कि उनकी भूमिका व्यावसायिक समर्थन/जोखिम संबंधी परामर्श तक सीमित नहीं थी तथा डीनान विदेशी आवक पुनर्बीमा स्थाननों में एक सक्रिय भूमिका अदा कर रहा था, जैसा कि ऊपर कहा गया है। सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए डीनान विदेशी आवक पुनर्बीमा का स्थानन करने के लिए एक विदेशी बीमा दलाल पीआईआईक्यू की एक विस्तारित भुजा की तरह कार्य कर रहा था। यद्यपि किसी भारतीय बीमाकर्ता के लिए किसी विदेशी बीमा दलाल से सीधे विदेशी आवक पुनर्बीमा स्थानन को स्वीकार करने पर कोई रोक नहीं है, तथापि डीनान का उक्त विदेशी बीमा दलाल के भारतीय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना अवैध है।

ii. श्री अज़ीम कांजियानी, सीईओ, डीनान ने पत्र दिनांक 19 अक्तूबर 2020 के द्वारा कुछ मामलों में बीमाकर्ताओं के साथ डीनान का पत्र-व्यवहार प्रस्तुत किया। संलग्नकों में से एक संलग्नक एक ई-मेल दिनांक 13 जुलाई 2020 का था जो श्री रोहित सिंह, अध्यक्ष, डीनान द्वारा मेसर्स ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि. को संबोधित किया गया था। इस मेल में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उन्होंने ताशी एअर के 2020-21 स्थानन के लिए उनके प्रधान (पीआईआईक्यू) की ओर से मेसर्स ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि. से संपर्क किया है। श्री रोहित सिंह ने उक्त ई-मेल के साथ बीओआर, स्विस आरई द्वारा हस्ताक्षरित पर्ची, हस्ताक्षरित अग्रणी शर्तें, सूचना और एक्सपोज़र विवरण संलग्न किये हैं। अतः डीनान के स्वयं के प्रस्तुतीकरण से यह स्वीकार किया गया कि उन्होंने एक बीमा दलाल के कार्यों का निष्पादन किया है।

iii. यह पाया गया है कि एक पंजीकृत पुनर्बीमा दलाल के निम्नलिखित कार्य (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 (अनुसूची I – फार्म ए) में वर्णित) डीनान द्वारा निष्पादित किये गये हैं :

- ग्राहक के व्यवसाय और जोखिम प्रतिधारण दर्शन के साथ स्वयं को सुपरिचित करना।
- अंतरराष्ट्रीय बीमा और पुनर्बीमा बाजारों में उपलब्ध पुनर्बीमा कवरों के संबंध में तकनीकी डेटा के आधार पर परामर्श देना।
- वैयक्तिक पुनर्बीमाकर्ताओं की शोधन-क्षमता रेटिंगों सहित, उपलब्ध पुनर्बीमा बाजारों के एक डेटाबेस का अनुरक्षण करना।
- पुनर्बीमा के लिए जोखिम प्रबंध सेवाएँ प्रदान करना।
- एक पुनर्बीमाकर्ता अथवा पुनर्बीमाकर्ताओं के समूह का चयन करना और सिफारिश करना।
- ग्राहक की ओर से पुनर्बीमाकर्ता के साथ बातचीत करना।
- ग्राहक से प्राप्त अनुदेशों पर तत्परतापूर्वक कार्य करना तथा उसे लिखित प्राप्ति-सूचनाएँ और प्रगति रिपोर्टें उपलब्ध कराना।

14. उपलब्ध अभिलेखों, एससीएन के लिए डीनान के उत्तर, वैयक्तिक सुनवाई के दौरान किये गये प्रस्तुतीकरणों की उचित जाँच करने के बाद, तथा मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत, न्यायनिर्णयन अधिकारी ने अधिनियम की धारा 105सी की उप-धारा (3) के अधीन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट में न्यायनिर्णयन अधिकारी ने अधिनियम की धारा 42डी की उप-धारा (8) के अधीन रु. 10,00,000/- (केवल दस लाख रुपये) का अर्थदंड लगाने की सिफारिश की है।

15. तत्पश्चात् पत्र संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एडीजे/डीनान/01/2020-21 दिनांक 8 फरवरी 2021 के साथ न्यायनिर्णयन अधिकारी की रिपोर्ट को डीनान के साथ साझा किया गया और उनकी टिप्पणियाँ माँगी गईं। उत्तर में, डीनान ने पत्र दिनांक 27 फरवरी 2021 के द्वारा अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं। उक्त उत्तर में डीनान ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए अपने प्रस्तुतीकरणों को दोहराया कि कंपनी का निगमन, विमानन उद्योग सहित सभी उद्योगों के लिए व्यवसाय विशलेषण-विज्ञान और व्यवसाय समर्थन, मूल्यांकन, जोखिम मूल्यांकन, और अध्ययन, तथा विभिन्न अन्य प्रौद्योगिकीगत समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ किया गया है, अपने प्रस्तुतीकरणों को दोहराया। साथ ही, डीनान ने पत्र दिनांक 01 अक्तूबर 2020 के अनुसार उल्लेख किया कि न तो रिलायंस के साथ अब तक कोई व्यवसाय घटित हुआ है और न ही रिलायंस के साथ आगे किसी पत्र-व्यवहार का विनिमय हुआ है। डीनान ने आगे कहा कि उन्होंने कानून के अंतर्गत निर्धारित रूप में पंजीकृत बीमा/पुनर्बीमा दलालों के द्वारा निष्पादित की जानेवाली कोई भी सेवा निष्पादित नहीं की है। उन्होंने प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि न्यायनिर्णयन की कार्यवाही को छोड़ दिया जाए।

16. यह पाया गया कि डीनान ने केवल स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है जो मुख्य रूप से उनके पहले के प्रस्तुतीकरणों में प्रस्तुत किया जा चुका है। अपने स्पष्टीकरणों के समर्थन में कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

17. अधिनियम की धारा 105सी(2) के अनुसार, उक्त विषय में अंतिम निर्णय लेने से पहले प्राधिकरण ने ई-मेल दिनांक 22 अप्रैल 2021 के द्वारा डीनान को यह विनिर्दिष्ट करने के लिए सूचित किया कि क्या वे उक्त मामले में वैयक्तिक सुनवाई चाहते हैं। डीनान ने दिनांक 17 जून 2021 के द्वारा पुष्टि की कि वे इस मामले में वैयक्तिक सुनवाई नहीं चाहते हैं।

18. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और सभी तथ्यों, परिस्थितियों और उक्त मामले में अभिलेखों में उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के उपरांत, न्यायनिर्णयन अधिकारी का निष्कर्ष कि डीनान ने अधिनियम की धारा 42डी(8) का उल्लंघन किया है, सिद्ध हुआ है। डीनान ने अधिनियम की धारा 42डी(8) का उल्लंघन करते हुए, प्राधिकरण से पंजीकरण प्राप्त किये बिना बीमा मध्यवर्ती की सेवाओं का प्रस्ताव और तत्संबंधी लेनदेन करते हुए बीमा मध्यवर्ती की क्षमता में कार्य किया है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 105सी की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 42डी(8) के अंतर्गत प्राधिकरण के पास निहित शक्तियों के अनुसार इसके द्वारा डीनान पर रु. 10,00,000/- (केवल दस लाख रुपये) का अर्थदंड लगाया जाता है।

19. डीनान द्वारा उक्त अर्थदंड की राशि एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से (जिनका विवरण अलग से सूचित किया जाएगा) इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के अंदर विप्रेषित की जाएगी। डीनान द्वारा विप्रेषण की सूचना श्री ए.आर. नित्यानंदम, मुख्य महाप्रबंधक (मध्यवर्ती), आईआरडीएआई, सर्वे सं. 115/1, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगूडा, हैदराबाद-500032 को भेजी जाए।

20. यदि डीनान प्राधिकरण के उपर्युक्त निर्णय से असंतुष्ट है, तो अधिनियम की धारा 110 के अनुसार प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) को अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

हस्ता./-

(देबाशीष पंडा)

अध्यक्ष

दिनांकः 23 मई 2022

स्थानः हैदराबाद